

129



न्यायालय श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट

निगम 762/2019/सीधी/म०प्र०

रीवा मण्डल



1:- महीपत सिंह पिता स्व० श्रीनिवास सिंह बाघेल मृत द्वारा वारिसान-

अ:-सुनैना सिंह पत्नी स्व० महीपत सिंह उम्र 55 वर्ष

ब:- तेजपाल सिंह पिता स्व० महीपत सिंह उम्र 40 वर्ष

स:- महावली सिंह पिता स्व० महीपत सिंह उम्र 35 वर्ष

द:- भीष्मनारायण सिंह पिता स्व० श्री महीपत सिंह उम्र 30 वर्ष

2:- महिपाल सिंह पिता स्व० श्रीनिवास सिंह बाघेल उम्र 60 वर्ष

3:- सुकदेव सिंह पिता स्व० श्रीनिवास सिंह बाघेल उम्र 50 वर्ष

4:- सरस्वती बेबा स्व० श्रीनिवास सिंह बाघेल उम्र 10 वर्ष

सभी निवासी ग्राम करमई तहसील मझौली जिला सीधी म०प्र०

निगरानी कर्ता गण

वनाम

1:- रामबाई पत्नी स्व० श्री रामप्रसाद सिंह

2:- सत्यनारायण सिंह गोड पिता स्व० रामप्रताप सिंह

3:-विष्णु प्रताप सिंह पिता स्व० रामप्रताप सिंह

4:- रामाधार सिंह पिता स्व० रामप्रताप सिंह

सभी निवासी ग्राम ग्राम करमई तहसील मझौली जिला सीधी म०प्र०

गैर निगरानी कर्तागण

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त

रीवा संभाग रीवा के प्र०क०271/निग०/18-19

आदेश दिनांक- 31.5. 2018

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू- राजस्व

श्रीधर सिंह
सिंह डाटा यका
17-6-19

h

(129)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

(184)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-762/2019/सीधी/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यकारी तथा आदेश	पक्षकर्ता एवं अभियन्ताओं आदि के हस्ताक्षर
<p>28-08-2019 रिवा ईम्प</p>	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री संतेस्वर सिंह उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया तथा प्रस्तुत निगरानी मेमों का अवलोकन किया गया । अवलोकन पर पाया गया कि प्रश्नाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति निगरानी मेमों के साथ संलग्न नहीं है । संहिता की धारा 48 में यह स्पष्ट प्रावधानित है कि अपील या पुनर्विलोकन के साथ प्रश्नाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न अनिवार्य है । प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न न होने की दशा में याचिका अग्राह्य होगी । अतः यह निगरानी आवेदन प्रश्नाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के अभाव में अग्राह्य की जाती है । पक्षकारा सूचित हो ।</p> <p style="text-align: right;">(महेश चंद्र चौधरी) सदस्य</p>	